झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्रांक–वा0कर / विविध / 75 / 2016– 3795   राँची, दिनांक– 13/10/17

प्रेषक,

के0 के0 खंडेलवाल
प्रधान सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष,
झारखंड।

विषयः–माल एवं सेवा कर प्रणाली (GST) के अंतर्गत सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO^s) का निबंधन एवं TDS के प्रावधान दिनांक 31.03.2018 तक स्थगित रहने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि दिनांक 01.07.2017 से GST लागू हो चुका है। पूर्व में VAT के दौरान कार्य संवेदकों एवं आपूर्तिकर्त्ताओं के विपत्रों पर DDO^s के द्वारा 4% TDS की कटौती की जाती थी, लेकिन अब VAT के स्थान पर GST लागू हो जाने के पश्चात् फिलहाल दिनांक 31.03.2018 तक GST के अंतर्गत TDS की कटौती नहीं की जानी है। GST के तहत DDO^s का निबंधन भी दिनांक 31.03.2018 तक स्थगित किया गया है। अन्य कटौतियां यथा– आयकर के तहत TDS की कटौती, रॉयल्टी आदि पूर्ववत उन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार हीं की जाएगी।

विश्वासभाजन

Kailash 13/10/17

(के0 के0 खंडेलवाल)
प्रधान सचिव–सह–आयुक्त।